

(d) and (e). It is the endeavour of the Government to provide maximum housing and medical facilities to all classes of its employees in all areas within the overall limitations of resources.

There are at present 1591 residential quarters available in Assam for a total regular staff strength of 14478. 65 additional quarters are under construction, out of which 43 are likely to be completed during the current financial year.

The P&T employees all over the country are entitled to free medical care as admissible to all other Central Government servants under the Central Services (Medical Attendance) Rules 1944. Whenever there are large concentrations of P&T employees, special PT Dispensaries have been opened. In Assam 2 such dispensaries are working at Gauhati & Dibrugarh. These dispensaries provide out-door treatment exclusively for the P&T employees and members of their families.

मध्य प्रदेश में बीड़ी बनाने के काम पर कम आयु के बच्चों को रक्षना

4360. श्री कचरू लाल हैमराज जैन : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस प्रवृत्ति की ओर बिलाया गया है कि मध्य प्रदेश में बीड़ी कारखानों के श्रमिकों से प्रति सप्ताह साठ घण्टे से अधिक काम लिया जाता है; और

(ख) क्या बीड़ी और सिगार श्रमिक (नियोजन की शर्तों) अधिनियम, 1966 की अवहेलना कर कम आयु के बच्चों से भी बीड़ी बनाने का काम लिया जाता है तथा इसकी रोकथाम के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश की राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर नकारात्मक है।

बीड़ी कारखानों के कर्मचारी

4361. श्री कचरू लाल हैमराज जैन : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बीड़ी कारखानों की संख्या कितनी है और इन कारखानों में काम कर रहे श्रमिकों की कुल संख्या, राज्यवार, कितनी है; और

(ख) इन कारखानों में स्थान की तंगी, हवावन, पेय जल और शौचालयों आदि की व्यवस्था देखने के लिए गत वर्ष प्रत्येक राज्य में कितने कारखानों का निरीक्षण किया गया और कितने कारखानों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) और (ख). राज्य सरकारों से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

बीड़ी कर्मचारियों की स्थिति में सुधार

4362. श्री कचरू लाल हैमराज जैन : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि बीड़ी मजदूरों के कार्य करने के स्थान शब्द और अस्वच्छ होते हैं और वहां पेय जल का अभाव होता है जिसके परिणामस्वरूप उनके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो बीड़ी मजदूरों के काम की दशा को सुधारने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

संसदीय कार्य तथा अन्न मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) (क) और (ख) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । बीड़ी और सिगार श्रमिक (रोजगार की शर्तों) अधिनियम, 1966 (जिसे राज्य सरकारों आदि द्वारा लागू किया जाता है) में औद्योगिक परिसरों को साफ सुधरा रखने और नियोजकों द्वारा श्रमिकों को पीने के स्वास्थ्यकर जल की पूर्ति करने के संबंध में पहले से व्यवस्था है ।

Health and Family Welfare Centres in Gujarat

4363. SHRI AHMED M. PATEL: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) the number of Health and Family Welfare Centres opened and proposed to be opened in the backward area of Gujarat State, District-wise; and

(b) nature of facilities provided for the Tribals and Harijans?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RAJ NARAIN): (a) 64 Primary Health Centres with 63 Rural Family Welfare Centres and 374 Rural Sub-Centres are functioning in backward areas of Gujarat. No additional Primary Health Centre/Rural Family Welfare Centre is proposed to be opened during 1977-78. However, the sub-centres functioning at Solli in Broach District and Hanumantwad in Balsar District will be upgraded

to Dispensaries during the year. District-wise break-up of the Primary Health Centres, Rural Family Welfare Centres and Sub-centres functioning in the backward districts is given in the enclosed statement.

(b) The following facilities are being provided to Tribals and Harijans in the State through the net-work of Primary Health Centres/Rural Family Welfare Centres and Sub-Centres:

- (i) Medical aid;
- (ii) Improvement of sanitary conditions;
- (iii) Provision of safe water;
- (iv) Provision of sanitary latrines;
- (v) Control of communicable diseases:—
 - (a) Immunisation against small-pox, tetanus and diphtheria;
 - (b) Facilities for isolation and treatment of cases;
 - (c) Supply of dehydration powder.
- (vi) Maternal and Child health services:
 - (a) Ante-natal services;
 - (b) Post-natal services;
 - (c) Infant health services;
 - (d) Pre-school health care.
- (vii) Family Welfare Services.
- (viii) Facilities for health education.
- (ix) Provision of Laboratory Services.
- (x) Improvement of registration of vital events.